

प्रेषक,

पारूल वर्मा,  
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. प्रथम/  
एम.पी.एम.एल.ए., हाथरस।

सेवा में,

माननीय जिला न्यायाधीश,  
जनपद हाथरस।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि इस न्यायालय के समक्ष लम्बित सत्र परीक्षण संख्या-311/2017 राज्य बनाम देवेन्द्र अग्रवाल आदि अ0सं0-18/2017 अन्तर्गत धारा-147,148,149,307,302,427,325 भा0दं0सं0 थाना सहपऊ, जिला हाथरस में वादी रामहरि शर्मा की ओर से स्थानान्तरण याचिका सं0-623/2023 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गयी थी कि उक्त सत्र परीक्षण को किसी अन्य जनपद में स्थानान्तरित कर दिया जाये। उक्त स्थानान्तरण याचिका के लम्बित रहते हुए ही वादी मुकदमा द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 01-02-2024 से क्षुब्ध होकर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्पेशल लीव पेटिशन (एस.एल.पी. दाण्डिक) सं0-1798/2024 योजित की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09-02-2024 को निम्न आदेश पारित किया गया कि "We have heard learned senior counsels appearing for the parties.

Though we are not inclined to grant relief sought for, suffice it to request the High Court of Allahabad to dispose of the Transfer Application (Criminal) No. 623/2023 at the earliest, preferably within a period of four weeks from today.

In the meanwhile, the trial Court proceedings shall go on. However, the trial court shall not pronounce any judgment till the orders of the High Court are passed.

The Special Leave Petition is disposed of accordingly.

Pending application, if any, shall stand disposed of."

उक्त आदेश के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 08-04-2024 के द्वारा उक्त स्थानांतरण याचिका सं0-623/2023 को गुणदोष के आधार पर निरस्त कर दिया गया। अभियुक्तगण की ओर से दिनांक 09-04-2024 को एक प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र व आदेश दिनांकित 08-04-2024 इस याचना के साथ प्रस्तुत की गयी कि अब निर्णय गुणदोष पर पारित किये जाने में कोई अवरोध नहीं है व प्रार्थना की कि उक्त पत्रावली गुण दोष के आधार पर निर्णीत कर दी जाये।

संबंधित कार्यालय लिपिक द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त सत्र परीक्षण से संबंधित पत्रावली न्यायालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा जरिये मांगपत्र दिनांक 08-04-2024 को तलब की गई है।

उक्त के आधार पर अधोहस्ताक्षरी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को पत्रावलित करने हेतु एक पृथक आदेश पत्र पर पत्रावली के साथ उक्त आदेश को संलग्न किये जाने हेतु कार्यालय को निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में कुछ समय पश्चात् ही कार्यालय लिपिक द्वारा मूल पत्रावली न्यायालय के समक्ष पेश की गई व अवगत कराया गया कि भोजनावकाश के उपरान्त पत्रावली पुनः जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को वापिस भेज दी जाये।

इस आशय का कोई लिखित आदेश सत्र न्यायाधीश महोदय की ओर से प्राप्त नहीं हुआ था कि उनके न्यायालय के समक्ष लंबित स्थानांतरण याचिका के अंतिम निस्तारण तक इस सत्र

✓

परीक्षण में कोई अग्रिम कार्यवाही न की जाये, न ही किसी पक्षकार की ओर से ऐसी कोई याचना ही की गई थी। अतः ऐसी स्थिति में, जहाँ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में लंबित स्थानान्तरण याचिका के निस्तारण तक निर्णय पारित न किये जाने का निर्देश दिया गया था, किन्तु इस न्यायालय की कार्यवाही को किसी प्रकार से स्थगित नहीं किया गया था, अपितु अपने आदेश में न्यायिक कार्यवाही को जारी रखने हेतु निर्देशित किया गया था, वही पक्षकारों द्वारा अंतिम बहस दिनांक 12-03-2024 को पूर्ण हो जाने के पश्चात् उक्त सत्र परीक्षण निर्णय हेतु सुरक्षित कर लिया गया था।

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04-04-2024 के आदेश पत्र पर स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित स्थानान्तरण याचिका के निस्तारण होने के उपरान्त यथाशीघ्र पेश की जाये जो उक्त स्थानान्तरण याचिका के दिनांक 08-04-2024 को निस्तारण के पश्चात् उपरोक्त आदेशानुसार पेश की गई, जिस कारण अधोहस्ताक्षरी की राय में इस मामले में अंतिम निर्णय पारित किये जाने में कोई अवरोध शेष नहीं रह गया था। अंतिम निर्णय दिनांक 09-04-2024 को समय 1.15 पी.एम. पर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की ओर से उक्त सत्र परीक्षण की पत्रावली को पुनः वापिस मंगाये जाने हेतु पत्र समय 1.40 पी.एम. पर प्राप्त हुआ, जिसके अनुसरण में पत्रावली पुनः माननीय महोदय को प्रेषित की गई।

वांछित आख्या माननीय महोदय के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

सादर।

दिनांक-12-04-2024

भवदीया,  
12/04/24  
(पारुल वर्मा)

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. प्रथम/  
एम.पी.एम.एल.ए., हाथरस।

